TUSSLE BETWEEN DTH AND BROADCASTERS

The ongoing tussle between DTH service providers and broadcasters who are offering free channels on DD's Free Dish is getting heated up. The DTH operators have serious reservations and complain that that the availability of pay channels for free on DD Free Dish is not fair and goes and does not provide for a level-playing field and parity. As per the New Tariff Order (NTO), broadcasters have to designate channels either as free to air (FTA) or pay and the two set of channels cannot be bundled. The MRP of pay channels will have to be uniform across all distribution platforms. It is pertinent to note that DD Free Dish being a free platform doesn't come under the tariff framework.

"Our customers have been complaining (that they have been paying for something that is available for free on another platform). We started these conversations a year ago when we first noticed it was happening and even wrote to Trai (Telecom Regulatory Authority of India). But we've received no response from either broadcasters or the regulatory authority," Harit Nagpal, managing director and chief executive officer, Tata Sky said. If DTH players do not hear back even now, Nagpal said they would go ahead with legal action that they have been contemplating all this while, he added.

In respect of DD Free Dish, there has been a debate for some time now and it seems that Trai is aware of the issue. Trai's own website has FAQs on broadcasting and cable TV services, which include a question on why pay channels are shown as free on DD Free Dish. In response, Trai has asserted that the nature of a channel has to be same on all addressable platforms and that it is seized of the matter and is in correspondence with the concerned persons, claimsAkshay Sachthey, principal associate at legal firm Phoenix.

DD Free Dish has a reach of 40+ million TV homes and has 161 channels, of which 20 are pay channels. Under NTO, Trai has the power to issue orders or directions or intervene for the purposes of securing compliance of NTO's terms or facilitating competition or promoting efficiency in broadcasting operations. If DPOs are aggrieved by Trai's response, then the legal option can be explored by DTH companies. ■

डीटीएच और प्रसारणकर्ताओं के बीच खींचतान

डीटीएच सेवा प्रदाताओं और डीडी के फ्री डिश पर मुफ्त चैनल की पेशकश करने वाले प्रसारकों के बीच खींचतान तेज होती जा रही है। डीटीएच ऑपरेटरों को गंभीर आपत्ति है और शिकायत है कि डीडी फ्री डिश पर मुफ्त में पे चैनलों की उपलब्धता उचित नहीं है और यह एक समान अवसर और समानता प्रदान नहीं करती है। नये टैरिफ आदेश (एनटीओ)के अनुसार प्रसारकों को चैनलों को या तो फ्री–टू–एयर (एफटीए) या पे चैनल के रूप में नामित करना होता है और चैनलों के दो सेटों को बंडल नहीं किया जा सकता है। पे चैनलों की एमआरपी सभी वितरण प्लेटफॉर्मों पर एक समान होनी चाहिए। यह ध्यान देने योग्य है कि डीडी फ्री डिश एक फ्री प्लेटफार्म होने के कारण टैरिफ फ्रेमवर्क के तहत नहीं आता है।

टाटा स्काई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक हरित नागपाल ने बताया कि 'हमारे ग्राहक शिकायत कर रहे हैं (वे ऐसे चीज के लिए भुगतान कर रहे हैं जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध है)। हमने ये बातचीत एक साल पहले शुरू की थी जब हमने पहली बार देखा कि यह हो रहा था और यहां तक कि ट्राई (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) को भी लिखा था। लेकिन हमें प्रसारकों या नियामक प्राधिकरण से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।' उन्होंने कहा कि अगर डीटीएच खिलाड़ी अब नहीं सुनते हैं तो वे अब कानूनी कार्रवाई का सहारा लेंगे और वे इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं।'

डीडी फ्रीडिश के संबंध में पिछले कुछ समय से बहस चल रही है और ऐसा लगता है कि ट्राई को इस मुद्दे की जानकारी है। ट्राई की अपनी वेबसाइट पर प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं जिसमें डीडी फ्रीडिश पर पे चैनलों को मुफ्त में क्यों दिखाया जाता है, इस पर भी प्रश्न शामिल होते हैं। जवाब में ट्राई ने कहा कि एक चैनल की प्रकृति सभी एड्रेसेबल प्लेटफॉर्म पर एक समान होनी चाहिए। और इसने मामले को दबा दिया है और संबंधित व्यक्तियों के साथ पत्राचार कर रहा है। ऐसा दावा कानूनी कंपनी फीनिक्स के प्रमुख सहयोगी अक्षय सच्चे ने किया है।

डीडी फ्रीडिश की पहुंच **40** मिलियन से अधिक टीवी घरों में है और इसमें **161** चैनल हैं और जिसमें **20** पे चैनल हैं। एनटीओ के तहत ट्राई के पास आदेश या निर्देश जारी करने या एनटीओ शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने या प्रसारण कार्यों में दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करने की शक्ति है। अगर ट्राई के जवाब से डीपीओ नाराज हैं तो डीटीएच कंपनियां कानूनी विकल्प तलाश सकती हैं। ■